

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क. एफ 13-5/2016/20-तीन (1),

नया रायपुर 27/05/2016

प्रति,

1. कलेक्टर,

जिला - बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद,
जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली,
रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा

2. जिला शिक्षा अधिकारी

जिला - बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद,
जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली,
रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा

विषय:-पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप योजना के 59 डीएव्ही पब्लिक स्कूल में छात्रों का प्रवेश नियम के संबंध में।

छ.ग.शासन द्वारा शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में पूर्व से संचालित मॉडल स्कूलों का पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप योजना के अंतर्गत संचालित किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। यह स्कूल डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के नाम से संचालित होंगे। इनमें से 59 विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन निम्नानुसार होगा:-

1. दो तिहाई विद्यार्थी डीएव्ही मैनेजमेंट कमिटी द्वारा भरे जाएंगे, जिसमें निर्णय के लिए डीएव्ही मैनेजमेंट कमिटी स्वतंत्र होगी।
2. चूंकि ये विद्यालय निजी संस्था के रूप में संचालित होगा, अतः 25 प्रतिशत विद्यार्थियों का चयन शिक्षा के अधिकार अधिनियम हेतु छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क. एफ 13-07/2013/20-तीन, नया रायपुर दिनांक 22.01.2016 के अनुसार होगा। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. 08 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटे के विद्यार्थी जो केवल बीपीएल श्रेणी में होंगे, जिनका प्रवेश निम्नानुसार करेंगे:-
 - i. विद्यार्थियों के चयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार करें:-

i. संबंधित जिला का कलेक्टर	- अध्यक्ष
ii. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	- सदस्य
iii. प्राचार्य संबंधित मॉडल स्कूल	- सदस्य
iv. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण	- सदस्य
v. जिला शिक्षा अधिकारी	- सदस्य सचिव
 - ii. 08 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटे में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रक्रिया की पूरी तैयारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन जैसे:- आवेदन पत्र आमंत्रित करना, सारिणीकरण यथा कमवार सूचीबद्ध करना तथा आरक्षण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थियों का चयन की

पूरी कार्यवाही करना आदि। इस हेतु चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर तैयार किया जाए तथा जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर चयन की पूरी कार्यवाही की जाए।

- iii. प्रत्येक डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा के लिए स्वीकृत कुल 08 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए जिले में उक्त वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होगा। इस हेतु संबंधित जिले में विगत जनगणना में उक्त वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उक्त वर्गों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीट संख्या परिगणित होंगे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC एवं ST) के प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने पर ऐसी रिक्तियां जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, को अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी द्वारा भरे एवं इसके विपरीत स्थिति में अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों की रिक्तियां अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों द्वारा भरे। अगर निःशक्त बच्चों का आवेदन न हो तो उसी आरक्षण वर्ग के पात्र बच्चे से भरा जाए।

अगर रिक्तियां फिर भी शेष हैं तो जिला स्तर की समिति निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।

- iv. 25 प्रतिशत एवं 08 प्रतिशत दोनों श्रेणियों के लिए डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में प्रवेश हेतु विद्यार्थी के लिए निम्नानुसार अहर्ता आवश्यक है:-

- a) विद्यार्थी उसी विकासखण्ड का निवासी हो जिस विकासखण्ड में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल संचालित हो रहा है।
- b) कक्षा 1ली में आवेदित संख्या अधिक होने पर लाटरी सिस्टम से विद्यार्थियों का चयन क. iii. के अनुसार जातिवार रोस्टर से किया जाएगा।
- c) कक्षा 1ली में प्रवेश के समय तत्कालिन शैक्षणिक सत्र 30 सितम्बर की स्थिति में छात्र की आयु न्यूनतम 06 वर्ष होनी चाहिए।
- d) आयु में आरक्षित वर्ग के छात्रों को पृथक से छूट प्राप्त करने के लिए पात्रता नहीं होगी।
- e) यदि कोई अन्य विद्यालय का छात्र डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में प्रवेश चाहता है तो उसे पूर्व में अध्ययनरत् विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रमाण पत्र एवं अध्ययनरत् होने संबंधित जारी प्रमाण पत्र प्रधानपाठक/ प्राचार्य से सत्यापित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- f) प्रत्येक संवर्ग में निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन होने पर प्राथमिकता निम्न क्रमानुसार करें:-
 - i. ऐसे बच्चे जो निःशक्त हैं।
 - ii. ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता (दोनों) की मृत्यु हो गयी हो।
 - iii. ऐसे बच्चे जिनकी माता विधवा हो।

iv. बालिका को प्राथमिकता हो।

v. छोड़ाए गए बालश्रमिक बच्चे जो सक्षम कलेक्टर द्वारा प्रमाणित हो।

इसके बाद भी किसी संवर्ग की श्रेणी में एक से अधिक आवेदक हो जाते हैं, तो जिला स्तरीय चयन समिति चयन किए जाने हेतु स्वतंत्र है।

4. सारिणीकरण के उपरान्त छात्रों के मेरिट के क्रम से चयन सूची तैयार करें। चयन सूची तैयार करते समय वर्गवार आरक्षण, महिला आरक्षण, निःशक्तजन आरक्षण सभी का ध्यान रखा जाए। निर्धारित सीट संख्या के आधार पर चयन सूची तैयार करने के बाद प्रत्येक वर्ग के लिए 10 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची भी अग्रिम रूप से तैयार कर रखा जाए। उक्त प्रतीक्षा सूची का उपयोग मूल चयन सूची में चयनित छात्र के प्रवेश न लेने की स्थिति में किया जाए। चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर से कराए। तत्पश्चात उक्त सूची के आधार पर चयनित छात्र को आवश्यकतानुसार प्रतीक्षा सूची के छात्र का प्रवेश प्राचार्य द्वारा अपने विद्यालय में करें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के लिए पृथक-पृथक आरक्षण रोस्टर पंजी स्थायी तौर पर संधारित रखेंगे।
6. यह प्रवेश नियम वर्ष 2016-17 के लिए ही है, जिसमें केवल इसी वर्ष कक्षा पहली के अतिरिक्त 2री से 6वीं तक में नामांकन लिया जा सकेगा।
7. कक्षा 7वीं से 12वीं तक पूर्व में दर्ज बच्चों में रिक्तियां होने पर जहां संख्या 33 प्रतिशत से कम शासकीय क्रेटे के बच्चे होंगे उनके लिए भी यह नियम लागू होगा।

मॉडल स्कूल प्रवेश समयसारिणी/ कार्यक्रम

शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में नवीन मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए चयन करने हेतु निम्नानुसार समय सीमा एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. समय सारणी :-

डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2016-17 का कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

1. आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु - 28 मई 2016
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जनहित में विज्ञापन जारी करना
2. आवेदन पत्र प्राप्त करने की - 07 जून 2016
अंतिम तिथि
3. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि - 15 जून 2016
4. प्रवेश हेतु चयनित छात्रों तथा - 15 जून 2016
10 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची जारी करने की अंतिम तिथि
5. कक्षा प्रारंभ - 16 जून 2016

ऊपर दर्शित कार्यक्रम एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। जिले में आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर तथा जिला कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त कर इसे

अंतिम रूप दिया जावे तथा उसी के अनुरूप जिले में डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए प्रारंभिक चयन कार्यक्रम आयोजित करने की कार्यवाही की जावे। उक्त कार्यवाही डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों के प्राचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से की जावेगी।

2. चयन कार्यक्रम का प्रकाशन तथा प्रचार-प्रसार :-

चयन के लिए निर्धारित कार्यक्रम का प्रकाशन जिला, जनपद, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, नवीन डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के नोटिस बोर्ड के साथ-साथ विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड में भी करें। क्षेत्र के सभी प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठकों को भी इसकी सूचना भेज कर उनके शाला के बच्चों तथा उनके पालकों को उक्त प्रक्रिया की जानकारी देने तथा डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में प्रवेश देने हेतु प्रेरित करने के लिए कार्यवाही करें। क्षेत्र में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में समाचार के रूप में इसका प्रकाशन कर प्रवेश के लिए प्रचार-प्रसार करें।

real
27/05/16
सचिव
छ.ग.शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्र. एफ 13-6/2016/20-तीन (1),

नया रायपुर 27/05/2016

प्रतिलिपि

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रबंध संचालक, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, बलोदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा को सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, डीएव्ही मैनेजिंग कमिटी चित्रगुप्त रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

real
27/05/16
सचिव
छ.ग.शासन
स्कूल शिक्षा विभाग